

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

का०आ०सं०-स्था०1/वि०1-149/2014 191 पटना, दिनांक: 25-05-17

कार्यालय आदेश

श्री किशोर कुमार दास, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फारवीसगंज, अररिया संप्रति निलंबित कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास को निदेशालय के का०आ०सं०-31 ज्ञापांक-261 दिनांक-10.03.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास निर्धारित किया गया।

2. श्री किशोर कुमार दास संप्रति निलंबित कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास को विभागीय कार्यवाही जॉचाधीन रहने के क्रम में निलंबन मुक्त करते हुए प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के पद पर खुटौना प्रखंड, मधुबनी कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

3. श्री दास को निलंबन अवधि में केवल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा अन्य किसी प्रकार दावे मान्य नहीं होंगे। श्री दास का निलंबन अवधि का सेवा को मात्र पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में गणना की जायेगी।

ह०/-
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास/मधुबनी/अररिया।
3. कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/मधुबनी।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/मधुबनी/अररिया।
5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, खुटौना प्रखंड, मधुबनी
6. प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना प्रशाखा -1 अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
7. श्री किशोर कुमार दास, निलंबित कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास

का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
निदेशक

ज्ञापांक :-

1029

पटना, दिनांक : 25-05-17

प्रतिलिपि :- प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/-
निदेशक
31/5/17